



५५

न्यायालय: माननाथ राजव मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
 I/मिगरानी/शिवपुरी/भू-रा/2018/1431  
 प्रकरण क्रमांक 12024 फुरीदाण

निवेदन ल्यायी (स.)  
 26-2-18  
 6-3-18  
 26-2-18

- १) नारायणसिंह पुत्र श्री सुवरसिंह, आयु ४७ वर्ष,
- २) हात्तसिंह पुत्र श्री सुवरसिंह यादव, आयु ४५ वर्ष,  
 निवासीगण ग्राम तैमरा, तैहसोल करैरा, जिला  
 शिवपुरी ---- आवेदकगण

विरुद्ध

- १) गौपसुंदर वैवा सरूपसिंह, आयु ६७ वर्ष,
- २) लालसिंह, )  
 ३) जयेंद्रसिंह, ) पुत्रीगण सरूपसिंह,
- ४) रामलाल पुत्रो सरूपसिंह गुर्जर
- ५) देवेंद्र पुत्र श्री सरूपसिंह, गुर्जर  
 निवासीगण ग्राम उटवा
- ६) ऊणा, )  
 ७) पुक्कल, ) पुत्रीगण सरूपसिंह,

निवासीगण ग्राम उटवाहा, तैहसोल करैरा,  
 जिला शिवपुरी (म०प्र०) --- अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता १९५६  
 विरुद्ध आवेदक दिनांकी १०-१-१८ जी कि श्री कलेक्टर महोदय,  
 शिवपुरी द्वारा प्र० क्र० ५२/२०१०-११ निगरानी बउनवान  
 नारायणसिंह आदि बनाम गौरसुंदर आदि ।

माननाथ महोदय,

आवेदकगण को और से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

संक्षिप्त तथ्य :

(अ) यहकि, अनावेदकगण के पिता द्वारा दि० २६-१२-२००२ को  
 किए गए रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र जी आवेदकगण को हित में सम्पादित किया  
 था, उक्त रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के आधार पर आवेदकगण द्वारा तैहसोलदार

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/ एक/ शिवपुरी/ 2018/ भूरा/ 1431

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमानकों आदि के हस्ताक्षर
7.2.19	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री जितेन्द्र त्यागी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 52 /2010-11 में पारित आदेश दिनांक 10/01/18 के विरुद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:-</p> <p>धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन-</p> <p>(ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा।</p> <p>3-परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नहीं होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों।</p> <p>पेशी दिनांक 15/4/19</p> <p><u>अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर</u></p>	